

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

88/2025/1064

दरिणी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 07.03.25

1 भीखाराम पुत्र  
पेलाद राम जाति  
दर्जी निवासी  
कड़वासरो की  
ढाणी, खुड़ासा  
तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।


1 सजियों पत्नि सुरताराम 2 मालाराम 3 खेताराम 4 तेजाराम 5 बाबुराम  
पिसरान सुरताराम 6 भीखाराम पुत्र प्रह्लादराम 7 केंसी पत्नि कानाराम 8  
किस्तुराराम 9 खेताराम 10 चुनाराम पिसरान कानाराम 11 खेताराम पुत्र  
प्रह्लादराम 12 कमला पत्नि ताराराम 13 भीयाराम पुत्र बगताराम 14  
जेठाराम 15 सवाईराम 16 राणाराम 17 सरूपाराम 18 जसाराम पिसरान  
ताराराम 19 जाति दर्जी 19 केंसी पत्नि चिमाराम 20 मोटाराम 21  
गंगाराम पिसरान चिमाराम 22 सताराम 23 पोकरराम 24 सोनाराम  
पिसरान हरखाराम जाति जाट 25 मनभी पत्नि बगताराम 26 उदाराम पुत्र  
खेताराम 27 नोजी पत्नि पांचाराम 28 हरजीराम 29 भीखाराम 30 मूनल  
पत्नि भीखाराम 31 महादेव 32 हरीश 33 पुष्पा 34 पार्वती 35 मनता  
पिसरान मूलाराम 36 कलावती पत्नि मूलाराम 37 पनाराम 38 मांगाराम  
पिसरान पांचाराम जातियान मेघवाल निवासी कड़वासरो की ढाणी,  
खुड़ासा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-558/2024

दिनांक- 03/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कड़वासरो की ढाणी पटवार क्षेत्र खुड़ासा तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 337/196 रकबा 3.5855 हेक्टर व खसरा संख्या 338/262  
रकबा 2.5576 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से  
पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में  
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.  
08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।



( वीरमा राम )


उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1065-68

दिनांक- 07.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुड़ासा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भीखाराम पुत्र पेलाद राम जाति दर्जी निवासी कड़वासरो की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सजियों पत्नि सुरताराम वगैराह जाति दर्जी निवासी कड़वासरो की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर